



ZONE-0

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना -2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

“ओपन हाउस मीट्स”
“OPEN HOUSE MEETS”

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
Form to be filled by Participant

OFFICE OF THE DMR (Pig.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 3627
Dated 30/5/12

नाम Name	EKNATH SINGH
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग/फेडरेशन/संघ (एम्प्लोसीएशन)/आर डब्लू ए/व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	R.W.A नव वैशाली विकास समिति D.E.F Block प्रिन्स कॉलोनी हरिनगर विस्तार बंगला पि 1 दिल्ली-44
वर्तमान स्थिति Present Position	प्रिन्स कॉलोनी हरिनगर विस्तार पार II बंगला
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9911968300, 9911368300 9911968306
फैक्स : Fax :	
ई-मेल E-mail	
पता : Address :	F-303 प्रिन्स कॉलोनी हरिनगर विस्तार पार II बंगला
हस्ताक्षर : Signature :	
तिथि : Date :	29/5/2012

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”

नव वैशाली विकास समिति

(रजि. 33449)

एफ-ब्लॉक, प्रिंस कॉलोनी, हरी नगर विस्तार, भाग-3, बदरपुर, नई दिल्ली-110044

क्रमांक R.W.A.L.No-153/2012

दिनांक 28.05.2012

सेवा में,

श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय

पिछली विकास प्राधिकरण

विकास सदन, आई.एन.ए. नई दिल्ली 110023

विषय:- प्रिंस कॉलोनी डी.ई.एफ ब्लॉक हरिनगर विस्तार चार्ज-3 बदरपुर को '0' जॉन से मुक्त करन, मकान बनाने एवं मरम्मत कार्य की अनुमति प्रदान करने हेतु।

महोदय,

निवेदन यह है कि डी. ई. एफ ब्लॉक प्रिंस कॉलोनी, पश्चिम पिछली के क्षेत्र में वार्ड 201 में आती है। यह कॉलोनी पिछली सरकार के द्वारा पंजीकृत 1639 कॉलोनियों की संख्या में 596 नं० पर पंजीकृत है। इस कॉलोनी का 17/09/00 को Joint Secretary (PC) के द्वारा कॉलोनी पास करने के लिए अध्याई प्रमाण पत्र (Provisional Certificate of Regularization) प्रदान किया गया। हमें ज्ञात हुआ है कि वार्ड नं० 201 की सभी कॉलोनियों एवं सैकड़ों वर्ष पुराने गाँवों को पिनांक 8-03-10 को '0' जॉन की श्रेणी में कर दिया गया है। जबकि हमारी कॉलोनी पटना नदी से 5000 मी० (5km) से भी अधिक दूरी पर पसी हुई है। यह एक मानवीय श्रद्धा हो सकती है। 201 नं० वार्ड की कोई भी कॉलोनी एवं गाँव '0' जॉन के पापरे में नहीं आती है।

अतः श्रीमान महोदय से नमू निवेदन है कि हमारी कॉलोनी को अति अति शीघ्र '0' जॉन से बाहर करने की कृपा प्रदान करें। जिससे मरम्मत का कार्य शुरू किया जा सके क्योंकि मरम्मत के बिना जल-2 परे एवं गिरने के कारण पर भागे हुए मकान ठीक हो सके। 201 नं० वार्ड में जल्द से जल्द मकान बनाने एवं मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया तो बरसात आने पर सैकड़ों मकान इस हालत में हूँ कि कभी भी धार नकरते है और इससे बहुत अधिक संख्या में जान-माल का नुकसान हो सकता है हमारे प्राथमिक को स्वीकार करते हुए एवं उपरोक्त विषय को ध्यान में रखकर हमारे क्षेत्र को '0' जॉन से बाहर करने की अनुमति प्रदान करें।

सादर धन्यवाद

भवदीय

Pradhan
Nav Veishali Vikas Samite
0-131, Prince Colony, Hari Nagar
Extn.-III, Badarpur, N. Delhi-44

प्रधान

R.W.A नव वैशाली विकास समिति
ब्लॉक D.E.F प्रिंस कॉलोनी

Provisional

of Regularization

No. : F.1-33/UC/UD/2004/Pt.-III/

Dated 17/09/2008.

It is certified that the residents of *Prince Colony, Hari Nagar Extn Pt-III*,
unauthorised colony, having Regd. number *596*, represented through
Sh/Ms. *Ekmath Singh*
(President/Secretary) of the *Nav Vishal Vikas Samiti* Society Ltd. (registered
under the Society Registration Act, 1861) having registration number *S: 33449/1998*
have fulfilled the requirement of Clause 4 of the Regulations for Regularization of
unauthorised colonies in Delhi, notified by the Government of India vide notification No.
S.O. 683 (E) dated the 24th March, 2008 and amended vide notification No. S.O. 1452
dated the 16th June, 2008, and, thus *Prince Colony, Hari Nagar Extn Pt-III*
unauthorised colony is provisionally regularized. *Block D. E & F Delhi - 44*

This provisional regularization certificate shall be subject to the scrutiny of the requisite documents, by the local body/ Delhi Development Authority/ GNCTD, with regard to fulfillment of conditions stipulated under the aforesaid Regulations. The unauthorised colonies fulfilling those conditions shall only be considered for final regularization.

The final boundary of the aforesaid colony would be fixed by the GNCTD only after completing all requisite formalities including those in Clause 3 of the Regulations.

By order and in the name of the Lt.
Governor of the National Capital
Territory of Delhi

Madhukar
(MADHUKAR)

Joint Secretary (UC)

Ekmath Singh

RAJ KUMAR CHAUHAN

Urban Development Minister

Govt. of NCT of Delhi

To,

Sh/Ms. *Ekmath Singh*

नव वैशाली विकास समिति

(रजि. 33449)

एफ-ब्लॉक, प्रिंस कॉलोनी, हरी नगर विस्तार, भाग-3, बदरपुर, नई दिल्ली-110044

क्रमांक.....

दिनांक.....

सेवा में,

माननीय श्री तपन सडल
निर्देशक (भोजना),
डी.डी.ए. जोन इ और 0,
उद प्लॉर, विकास मीनार
नई - दिल्ली

विषय:- प्रिंस कॉलोनी डी.ई.एफ ब्लॉक, हरि नगर विस्तार
पार्ट-3 बदरपुर को '0' जोन से मुक्त करने, मकान
बनाने एवं मरम्मत कार्य की अनुमति प्रदान करने
हेतु।

महोदय,

निवेदन यह है कि डी.ई.एफ ब्लॉक प्रिंस कॉलोनी
दक्षिण दिल्ली के जंतपुर वार्ड 201 में आती है। यह कॉलोनी दिल्ली
सरकार के द्वारा पंजीकृत 1639 कॉलोनीयों के संख्या में 396
नं० पर पंजीकृत है। इस कॉलोनी को 17-09-08 को Joint
Secretary (UC) के द्वारा कॉलोनी पास करने के लिए अस्थाई
प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate of Regularization) प्रदान किया
गया। हमें ज्ञात हुआ है की वार्ड नं० 201 की सभी कॉलोनीयों एवं
अच्छे वर्ष पुराने गांवों को '0' जोन की श्रेणी में कर दिया
गया है। जबकी हमारी कॉलोनीयों प्रभुना नदी से 5000 मी.
(5km) से भी अधिक दूरी पर बसी हुई है। यह एक मानवीय
भूल ही हो सकती है। 201 नं० वार्ड की कोई भी कॉलोनी एवं
गांवों '0' जोन के दायरे में नहीं आती हैं।

अतः श्रीमान महोदय से नम्र निवेदन है की हमारी कॉलोनी
को अति शीघ्र '0' जोन से बाहर करने की कृपा प्रदान करें।
जिससे मरम्मत का कार्य शुरु किया जा सके क्योंकि मरम्मत
बिना जरूरी परे एवं गिरने के खतरे पर आये हुए
मकान ठीक हो सके। 201 नं० वार्ड में जल्द से जल्द मकान

नव वैशाली विकास समिति

(रजि. 33449)

एफ-ब्लॉक, प्रिंस कॉलोनी, हरी नगर विस्तार, भाग-3, बदरपुर, नई दिल्ली-110044

क्रमांक.....

दिनांक.....

खाने का कार्य नही शुरू किया गया तो परभाव आने पर शेंकड़ा मकान इस हालत में है कि कभी भी गिर सकते हैं और इससे बहुत अधिक संख्या में जान-माल का नुकसान हो सकता है। हमारे प्राथमिक को स्वीकार करते हुए एवं उपर्युक्त विषय को ध्यान में रखकर हमारे क्षेत्र को '0' जोन से बाहर करने की अनुमति प्रदान करें।

सादर धन्यवाद

भवदीय
(एकनाथ सिंह)

प्रधान

R.W.A नव वैशाली विकास समिति
प्रिंस कॉलोनी डी. डी, एफ ब्लॉक,
हरि नगर, भाग-3, नई दिल्ली

Provisional

DELHI GOVERNMENT
TEAM DELHI • MAKING THINGS HAPPEN

of Regularization

No. : F.1-33/UC/UD/2004/Pt.-III/

Dated 17/09/2008.

It is certified that the residents of Prince Colony, Hari Nagar East Pt-III,
unauthorised colony, having Regd. number 596, represented through
Sh/Ms. Ekmath Singh
(President/Secretary) of the Nav Vishal Vikas Samiti Society Ltd. (registered
under the Society Registration Act, 1861) having registration number S-33449/1998
have fulfilled the requirement of Clause 4 of the Regulations for Regularization of
unauthorised colonies in Delhi, notified by the Government of India vide notification No.
S.O. 683 (E) dated the 24th March, 2008 and amended vide notification No. S.O. 1452
dated the 16th June, 2008, and, thus Prince Colony Hari Nagar East Pt-III
unauthorised colony is provisionally regularized. Block D. EBF Delhi-44

This provisional regularization certificate shall be subject to the scrutiny of the
requisite documents, by the local body/ Delhi Development Authority/ GNCTD, with
regard to fulfillment of conditions stipulated under the aforesaid Regulations. The
unauthorised colonies fulfilling those conditions shall only be considered for final
regularization.

The final boundary of the aforesaid colony would be fixed by the GNCTD only
after completing all requisite formalities including those in Clause 3 of the Regulations.

By order and in the name of the Lt.

Governor of the National Capital

Territory of Delhi

Madhukar
(MADHUKAR)

Joint Secretary (UC)

RK

RAJ KUMAR CHAUHAN

Urban Development Minister

Govt. of NCT of Delhi

To,

Sh/Ms. Ekmath Singh